पत्रांक : 8414 / उ.सू.आ. / 2012
दिनांक : 05.06.2012

प्रिय

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये 17 मैनुअलों को प्रतिवर्ष अद्यतन किये जाने तथा अधिनियम की धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4) के अंतर्गत मैनुअलों तक जनसामान्य की पहुंच को सहज बनाने के उद्देश्य से उनको प्रकाशित करने तथा इंटरनैट के माध्य से प्रसारित करने का दायित्व भी लोक प्राधिकारियों है.

2. इसी क्रम में आयोग द्वारा लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये मैनुअलों के वार्षिक अद्यावधिकरण तथा उनके प्रकाशन एवं इंटरनैट पर अपलोडिंग की कार्यवाही को माह अप्रैल से जून 2012 के मध्य पूर्ण करने के संबंध में प्रदेश के समस्त लोक प्राधिकारियों को निर्देश जारी किये गये थे. आयोग स्तर से निर्गत उक्त निर्देशों की एक प्रति मैं आपको इस आशय से प्रेषित कर रहा हूं कि कृपया अपने स्तर से भी प्रदेश के सभी लोक प्राधिकारियों को उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि उक्त 17 मैनुअल अद्यावधि हो सकें तथा जनता को इनके माध्यम से आवश्यक सूचनायें सीधे प्राप्त हो सकें. कृपया शासन स्तर पर इस कार्य को पूर्ण करने की प्रगति की समीक्षा भी अपने स्तर से करने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

संलग्न : यथोपरि.

(एन. एस. नपलच्याल)

श्री आलोक कुमार जैन
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून